

31

138

35

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश, कैम्प, रीवा, (म.प्र.)



Rs. 20/-

R. 2420-1114

श्रीमती सोनिया पुत्री स्व. भगवतराम तिवारी, उम्र 72 वर्ष, पेशा घरकार्य, निवासी ग्राम छिवला, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)

..... आवेदिका

बनाम

राजकुमारी तथाकथित पत्नी स्व. सियादुलारे, उम्र 70 वर्ष, पेशा गृहणी, निवासी ग्राम छिवला, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)

..... अनावेदिका

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 150/अ-6/2013-14 आदेश दिनांक 30.01.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :-

1. यह कि विवादित भूमियां स्व. रामानन्दे के स्वत्व व आधिपत्य की भूमियां थी। रामानन्दे के भाईयों की मृत्यु उनकी मृत्यु के पूर्व लावलद फौत हो चुके थे। रामानन्दे के तीन भाई व एक बहन सोनिया आवेदिका हैं जो रामानन्दे की मृत्यु के बाद वैध उत्तराधिकारी हुई। रामानन्दे की मृत्यु के बाद आवेदिका मात्र उत्तराधिकारी होने के कारण आवेदिका के नाम विधिवत वारिसाना नामान्तरण कर दिया गया जिसकी खसरे में भी इत्तलयाबी हो गई। अनावेदिका जो रामानन्दे की रिश्ते में साली लगती है, जिसका कभी किसी से विवाह नहीं हुआ था और अपने पिता के घर में ही रहती थी, अनावेदिका के भाई व भतीजे, जिनकी कुदृष्टि स्व.

M




राजस्व मण्डल ग्वालियर
आज दिनांक 10.07.14 के
सूचना संख्या
क्रमांक 2357
सर्किट कोर्ट रीवा
सिस्टम पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 25-7-14 को प्राप्त
सर्वे ऑफिस कोर्ट 14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2420-III/2014

जिला-रीवा

श्रीमती सोनिया/राजकुमारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 150/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	